<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील/आरटीआई/76/2022

तरुण कुमार बंसल, पुत्र श्री रमेश चन्द जाति वैश्य बिहारी गली, रुदावल तह0 रुपवास जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर)प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

अपील/आरटीआई/81/2022

तरुण कुमार बंसल, पुत्र श्री रमेश चन्द जाति वैश्य बिहारी गली, रुदावल तह0 रुपवास जिला भरतपुर

.........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर)प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट,भरतपुर

..............रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 21.10.2022</u>

अपीलार्थी तरुण कुमार बंसल, पुत्र श्री रमेश चन्द जाति वैश्य बिहारी गली, रुदावल तह0 रुपवास जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर के खिलाफ दो अपील प्राप्त हुई है। उक्त दोनों अपीलों में एक ही सूचना से सम्बन्धित होने के कारण दोनों अपीलों का निस्तारण एक आदेश से किया जा रहा है।

प्रार्थी/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20.7.2022 से लोक सूचना अधिकारी

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर(शहर) प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी / अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 22 / 668 दिनांक 15.9.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से जबाब पत्र क्रमांक / सामान्य / अपील / 2022 / 9774 दिनांक 11.10.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनायें पशुपालन विभाग भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र आर.टी.आई. एक्ट की धारा 6(1) के तहत संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर को भिजवाया गया है। यानि वर्तमान में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी,सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर के स्तर पर सूचना पेन्डिग नहीं है। अस्तु अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी,सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर